दिनांक 16/3/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)

16/3/22 आवेदक उपस्थित अभि आवेदक प्रति के अधिवक्ता गैर हाजिर अधिवक्ता पत्नी वादी पक्ष दिनांक 19/3/22 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)

19/3/22 आवेदक उपस्थित अभि आवेदक प्रति के अधिवक्ता पत्नी वादी पक्ष दिनांक 21/3/22 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)

21/3/22 आवेदक वादी ने उपस्थित होकर आवेदन पत्र पत्र विपक्ष लिखित प्रार्थना की कि अब तक प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है अतः फैसला किया जावे आवेदक प्रार्थी की प्रार्थना पत्र प्रमाण नहीं किया है खारिज किया जाता अन्तरिम R.I दिनांक 11/8/19 अपास्त की जाती पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर के बाद दाखिल दफ्तर हो निर्णय मुताबिक न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)

NOTE Pls